फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)
पिंकी बनाम संतलाल वगैरा
प्रकरण सं. 2/159/23 ता. रुजू 18.12.23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
18.12.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी पर बिना बंटवारे व विधिविरूद्ध कोई निर्माण कार्य करने से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 191/1, 950/191 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तह0 गोविन्दगढ़ में विधिपूर्वक बंटवारा कराये बिना किसी विशेष भू–भाग पर कोई निर्माण कार्य नही करें, और यह भी पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि पर निर्माण कार्य केवल विधि अनुकूल स्थिति अर्थात आराजी संपरिवर्तन के पश्चात ही किया जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 15.01.2024 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 15.01.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
15.01.2024	पत्रावली पेश हुई। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अप्रार्थी सं.1 की ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 24.1.24 को पेश हो। रीडर	

24.1.24 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी संख्या 2 की तामील रिपोर्ट पेश करो। पत्रावली दिनांक 31.1.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

31.1.24 ......वकुलाय पक्षकारान......उपस्थित
साबिक आदेश दिनांक..........................
की पालना में पत्रावली वास्ते......तामिल रिपोर्ट पेश करो।
दिनांक...05.2.24...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

रीडर

05.02.24 :- पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सि० प्र० स० प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र से प्रार्थी मौके पर तहसीलदार गोविन्दगढ़ को भिजवाकर साक्ष्य एकत्र करना चाहता है एवं कथन किया है कि इससे मौके की वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा और न्यायालय को निर्णय करने में मदद मिलेगी।

इस प्रार्थना-पत्र के संबंध में यह न्यायालय ऐसा समीचीन नहीं पाता है कि इस प्रकरण के संबंध में तहसीलदार गोविन्दगढ़ को भेज कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे जबकि यह भी उल्लेखित है तहसीलदार गोविन्दगढ़ भी उप पंजीयक के रूप में प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के अन्तर्गत अप्रार्थी के रूप में संमिलित है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 7

क्रमशः...

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

प्रा.पत्र- 212 राज.काश्त.अधि.

डिक्री .... बनाम .... रतनलाल वगैरह

प्रकरण सं. .... तारीख रजू ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. पर बहस हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं.-1 के अधिवक्ता गण बहस हेतु सहमत तथा उपस्थित हैं एवं अप्रार्थी सं.-2 उप पंजीयक ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा है। अत: प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावलि वास्ते निर्णय प्रा०प. अन्तर्गत 212 राज. काश्त अधि० आयन्दा दिनांक 19.2.24 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
19.2.2024	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने प्रा.प. अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नं. में उसकी माता जो मृतक है के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है, उसमे विधिक वारीसान होने से उसका हिस्सानुसार हक बनता है	(हस्ताक्षर)

--- क्रमश:

तारीख हुक्म	अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त अधि० हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज लिखी v/s संतलाल वगैरह	नम्बर व अहकाम जारी हुआ
	परन्तु अप्रार्थी आराजी मुतनाजा को तन्हा अपने नाम करवाकर शामिल पर जबरन कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुंतकिल करना चाहते है अप्रार्थी, प्रार्थी को बटाई कर उसके अलग से हिस्से को लेने में मनाही करते है। इसलिए अप्रार्थी (गैरसायल) को तालिसला दावा अराजी विवादास्पद से पाबन्द किया जावें।	
	विप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी (सायला) का इस आराजी में एक इंच पर भी कब्जा नहीं है बल्कि यह आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है। अप्रार्थी ने जवाब में मृतका के द्वारा वसीयत किया जाना भी उल्लेखित किया। यह भी वर्णित किया कि सायल का आराजी मुतनाजा में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।	
	प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत जवाब, दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया।	
	बहस के दौरान प्रार्थी, विप्रार्थी के अधिवक्तागण ने वस्तुतः अपने प्रा०पत्र व जवाब के कथनों का ही दोहराव किया।	
	दस्तावेज जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि आराजी मृतका बीरा देवी के नाम से हिस्साबुकार राजस्व रिकार्ड में	
	क्रमशः	

व काम जारी हुआ

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

पिंकी ......बनाम...... संतलाल वगैरह

प्रकरण सं.............. तारीख रजू..............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	में अंकित है इस बात पर कोई निरोधाभास नहीं है कि मृतका प्रार्थीया की माँ न हो अथवा कीश देवी की मृत्यु न हुई हो। इस प्रकार आराजी के विरासतन इंतकाल होने के विवाद से प्रथम दृष्टया वाद होना स्पष्ट है यहाँ यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने ~~प्रार्थी ने~~ अपने हिस्से तक की आराजी के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं हिस्सा वाद द्वारा तय होना अपेक्षित है। अप्रार्थी द्वारा वसीयत का उल्लेख किया है परन्तु इसकी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की और न ही आज तक वसीयत के आधार पर इंतकाल खुलवाने की कार्यवाही की। इससे अप्रार्थी का आशय स्पष्ट नहीं होता है और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में ~~सिद्ध~~ सिद्ध होता है यह भी कि यदि आराजी के संबंध में यदि अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट नहीं किया जाता है तो प्रबल संभावना है कि अप्रार्थी रूपान्तरित	

क्रमशः...

तारीख हुक्म	प्रा.प. अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पिंकी बनाम छैलाल वगैरह	अहकाम जारी हुए
	करके अथवा रहन, बेच मुन्तकिल करके अथवा निर्माण इत्यादि करके अथवा स्वामित्व स्वरूप परिवर्तन करे अथवा स्वामित्व में परिवर्तन करें इससे भी प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस प्रकार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा (आदेशिका दिनांक 18.12.2023) को कन्फर्म कर दिया जावे। अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 18.12.2023 के अनुसार जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का तार्मीसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19.02.2024 (सुरेन्द्र प्रसाद) पीठासीन अधिकारी	